

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 5-18/08/बी-3/दो-राज्य शासन एतद्वारा ग्राम रक्षा समितियों के सक्रिय सदस्यों की कर्तव्य के दौरान मृत्यु/घायल होने पर निम्नानुसार अनुग्रह राशि प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

1	मृत्यु होने पर	₹ 3.00 लाख (तीन लाख)
2	स्थायी अशक्तता होने पर	₹ 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार)
3	एक आँख/एक हाथ/एक पैर के अंग-भंग होने पर	₹ 1.00 लाख (एक लाख)
4	गंभीर चोट लगने पर	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार)

2. अनुग्रह राशि का भुगतान माँग संख्या-3-2055-पुलिस-{110} ग्राम पुलिस (5714) ग्राम और नगर रक्षा समिति के सदस्यों की बीमा योजना #42-006 आर्थिक सहायता से विकलनीय होगा।


3. यह सहायता राशि केवल ग्राम रक्षा समिति के सक्रिय सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर रक्षा समिति अधिनियम, 1999 की कण्डिका (3) के अन्तर्गत प्रारूप-1 में जारी की गयी हो।

4. अधिनियम की कण्डिका 10(1) के अंतर्गत जिला रक्षा अधिकारी के यहां प्रारूप-3 में संधारित रजिस्टर में समस्त नियुक्त सदस्यों की प्रविष्टि की जावेगी तथा ऐसे जारी होने वाली नियुक्ति, निष्कासन के समस्त आदेशों की प्रविष्टि आदेश पुस्तिका में की जाना सुनिश्चित की जाएगी।

5. वर्ष के अंत में 31 दिसम्बर की स्थिति में प्रत्येक जिला रक्षा अधिकारी जिले के समस्त सक्रिय सदस्यों की सूची जारी करेंगे एवं इस सूची की एक प्रति पुलिस मुख्यालय के पुलिस महानिरीक्षक-नोडल अधिकारी को पृष्ठांकित करेंगे।

6. पुलिस अधीक्षक अनुग्रह राशि प्रदान करने का प्रस्ताव निम्न दस्तावेजों के साथ पुलिस महानिरीक्षक/नोडल अधिकारी, पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-
- (1) मृत्यु/घायल के संबंध में पूर्ण विवरण, जिसमें संपादित किये जा रहे कर्तव्य का उल्लेख हो।
 - (2) चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिसमें विकलांगता का स्तर प्रमाणित हो। मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी।
 - (3) नामांकन प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो कॉपी।
 - (4) नियुक्ति से संबंधित आदेश पुस्तिका के संदर्भित पृष्ठों की सत्यापित फोटो कॉपी।
7. अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने का अंतिम आदेश पुलिस मुख्यालय में ग्राम रक्षा समिति के नोडल पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी किया जायेगा।
8. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0 क्र0 864/329/ब-8/चार/10, दिनांक 5 मई, 2010 के अनुक्रम में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिल कुमार)
अपर सचिव

म0प्र0 शासन, गृह (पुलिस)विभाग


पृष्ठां. क-एफ 5-18/08/बी-3/दो,

भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर 2010

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल,
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बजट-8 मंत्रालय,
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन,
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी प्रथम) ग्वालियर,
4. आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर सचिव

म0प्र0 शासन, गृह (पुलिस)विभाग